प्रेषक

यशेन्द्र सिंह, भा.प्र.से.,
उपायुक्त, रेवाड़ी।

सेवामें,

1. पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी।
2. अतिरिक्त उपायुक्त, रेवाड़ी।

यादी क्रमांक 7353-54 /COVID-19 दिनांक : 14/04/2020

विषय:– **श्रीमती कमलेश निवासी धनौदा, महेन्द्रगढ व श्री अजय कुमार, निवासी अलवर, राजस्थान के दिनांक 13.04.2020 को जिला रेवाड़ी की सीमा में प्रवेश करने की जाचं करने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको लिखा जाता है कि दिनांक 13.04.2020 को पुष्पांजली अस्पताल रेवाड़ी में दो मरीज दाखिल हुए हैं जो दोनों ही बाहरी जिले/राज्य के निवासी हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

1. श्रीमती कमलेश, उम्र 53 वर्ष, निवासी गांव धनौंदा, जिला महेन्द्रगढ जिसको शुगर, बुखार, खांसी तथा सांस लेने में तकलीफ है।

2. श्री अजय कुमार, उम्र 23 वर्ष निवासी अलवर (राजस्थान) जिसको बुखार है तथा जिसकी दिनांक 09.04.2020 को कोरोना रिपोर्ट नगेटिव आई थी।

इस समय कोरोना महामारी के चलते हुए पूरे देश में लॉकडाउन किया हुआ है तथा जिला रेवाड़ी की भी सभी सीमाएं बन्द की हुई हैं, उसके उपरान्त भी ये दोनो मरीज दिनांक 13.04.2020 को जिला रेवाड़ी के पुष्पांजली अस्पताल में भर्ती किए गए हैं जो कि पहले से ही हरियाणा सरकार द्वारा कोविड अस्पताल घोषित किया हुआ है। श्री अजय कुमार निवासी अलवर, राजस्थान द्वारा दिनांक 29.03.2020 को आवेदन कमांक HRCOVID19/2020/28087 मोबाईल नम्बर 8003685106 के द्वारा वाहन नम्बर आर.जे. 02– एस.सी. 5609 (बाईक) की आवाजाही हेतु भी आवेदन किया था परन्तु वह अस्वीकृत हो गया था, परन्तु फिर भी उक्त मरीज जिला रेवाड़ी की सीमा में प्रवेश कर गया और इस वक्त पुष्पांजली अस्पताल में भर्ती हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि दोषी कार्यकारी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की जाचं करवाकर जिम्मेदारी नियत करें कि उक्त दोनो मरीजो ने जिला रेवाड़ी की सीमा में कैसे प्रवेश किया है ताकि दोषी कार्यकारी मजिस्ट्र व पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही की जा सके।

यशेन्द्र सिंह, भा.प्र.से.,
उपायुक्त, रेवाड़ी।

पृ0कमांक 7355 /कोविड दिनांक 14/04/2020

इसकी एक प्रति आयुक्त गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम एवं कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम और निगरानी के लिए सभी गतिविधियों के कार्यान्वयन की योजना, समन्वय के लिए प्रभारी अधिकारी, जिला रेवाड़ी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है।

यशेन्द्र सिंह, भा.प्र.से.,
उपायुक्त, रेवाड़ी।